बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 07 जून, 2023 ई० ।

संख्या-1स्था०-42/2020- 1369/वि०स०। बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 8(ख) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा नियमावली के नियम-10 में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग में कनीय लिपिक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु भरती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैः-

बिहार विधान सभा सचिवालय (कनीय लिपिक के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति की पद्धतियाँ) आदेश, 2023

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (कनीय लिपिक के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति की पद्धतियाँ) आदेश, 2023 कही जा सकेगी।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में कनीय लिपिक के पदों पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भरती हेतु पद्धतियाँ वही होंगी जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'परिशिष्ट' में वर्णित है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

अनुपमा 7/6/23

(अनुपमा प्रसाद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक-1स्था०-42/2020- 1370 /वि०स०, पटना, दिनांक- 07 जून, 2023 ई०।

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुपमा 7/6/23

(अनुपमा प्रसाद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक-1स्था०-42/2020- 1370 /वि०स०, पटना, दिनांक- 07 जून, 2023 ई०।

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुपमा 7/6/23

(अनुपमा प्रसाद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक-1स्था०-42/2020- 1370 /वि०स०, पटना, दिनांक- 07 जून, 2023 ई०।

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

अनुपमा 7/6/23

(अनुपमा प्रसाद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–1स्था०–42/2020– 1370 /वि०स०, पटना, दिनांक– 07 जून, 2023 ई०।

प्रतिलिपिः–सभी निदेशकगण/उप सचिवगण/मुख्य प्रतिवेदक/संयुक्त निदेशक/सभी अवर सचिवगण, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुपमा 7/6/23

(अनुपमा प्रसाद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–1स्था०–42/2020– 1370 /वि०स०, पटना, दिनांक– 07 जून, 2023 ई०।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार का सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपमा 7/6/23

(अनुपमा प्रसाद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–1स्था०–42/2020– 1370 /वि०स०, पटना, दिनांक– 07 जून, 2023 ई०।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अनुलग्नक सहित सभा सचिवालय के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

अनुपमा 7/6/23

(अनुपमा प्रसाद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

07-06-23

बिहार विधान सभा सचिवालय (कनीय लिपिक के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति की पद्धतियाँ) आदेश, 2023

परिशिष्ट

बिहार विधान सभा सचिवालय में कार्यरत वैसे पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी (क्रम पत्र वितरक), कार्यालय परिचारी (रात्रि प्रहरी), कार्यालय परिचारी (दरबान), कार्यालय परिचारी (फर्रास), कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी) एवं कार्यालय परिचारी (माली) जिन्होंने उक्त पद पर कम से कम 3 (तीन) वर्षों की सेवा की हो, का सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कनीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती की पद्धति/पद्धतियों, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन आदि के निर्धारण के संबंध में विनियमनः–

1. शैक्षणिक योग्यता : आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इण्टरमीडिएट परिषद से इण्टरमीडिएट की योग्यता हो।

2. परीक्षा की पद्धति : सीमित प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय ली जायेगी, जिसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

   इस परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे।

   परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा। इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :–

   (क) सामान्य अध्ययन एवं गणित – प्रश्नों की संख्या 30 होगी।

   (ख) हिन्दी – प्रश्नों की संख्या 20 होगी।

   (ग) बिहार विधान सभा की प्रक्रिया/कार्य प्रणाली का सामान्य ज्ञान – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

3. परीक्षा का पाठ्यक्रम :

   (क) सामान्य अध्ययनः–इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को उसके आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्त्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

   (i) सम–सामयिक विषयः–महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम–सामयिक घटनायें, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल–खिलाड़ी।

   (ii) भारत और उसके पड़ोसी देशः–पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास/संस्कृति/भूगोल/आर्थिक परिदृश्य/कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्‌भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आन्दोलन में बिहार का योगदान।

   गणितः–संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।

   (ख) हिन्दीः– पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक (विलोम) शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द–युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द–शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां एवं कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान।

   कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक–6706, दिनांक 01.10.2008 के आलोक में उक्त परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

7/8/23